न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/399

1. बरधी लाल आयु 60 वर्ष आत्मज लक्ष्मण माली जाति माली निवीस मांदोलिया का बरडा हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. भंवर लाल आयु 35 वर्ष आत्मज बरधी लाल जाति माली निवासी मांदोलिया का बरडा हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. सत्यनारायण आयु 33 वर्ष आत्मज बरधीलाल जाति माली निवासी मांदोलिया का बरडा हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. खाजू आयु 30 वर्ष आत्मज बरधीलाल जाति माली निवासी मांदोलिया का बरडा हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

गंगाराम आयु वयस्क आत्मज चुन्नी लाल जाति माली निवासी मांदोलिया का बरडा हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अमर सिंह राठौड, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 13.03.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मान्दोलिया का बरडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खाता संख्या 111 की भूमि खसरा नम्बर 6338/3094 रकबा 07 बिस्वा स्थित है । उक्त भूमि वादी के खातेदारी की भूमि

है जिस पर वादी के अलावा अन्य किसी का हक व अधिकार नहीं है । उक्त भूमि पर वादी द्वारा पशुओं का चारा रखने भूमि की देखभाल करने हेतु मकान बना रखा है जो आधे हिस्से पर बना हुआ है । प्रतिवादीगण झगडालू प्रकृति के व्यक्ति हैं और वादी के खाते की भूमि में पडत हिस्से को देखकर उनके मन में बदनियति आ गई है वो आये दिन उक्त भूमि पर कब्जा करने पर आमादा रहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो वादी के खाते की भूमि में अतिक्रमण नहीं करें उस पर जबरदस्ती पत्थरों की दीवार का निर्माण नहीं करें उस पर निर्माण नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2017 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना बताकर अपीलान्ट के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है जबकि वादग्रस्त आराजी पर कोई काश्त नहीं होती है वरन् अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पीढियों से मकानात बने हुए हैं और निवास कर रहे हैं । उक्त भूमि पर अपीलान्ट का मकान बना हुआ है । रेस्पोडेन्ट ने बिना कब्जे के ही स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है । उक्त भूमि कृषि योग्य भूमि नहीं है जिसका उपयोग आवासीय रूप में हो रहा है । लोक अदालत में पक्षकारान के मध्य राजीनामा नहीं हुआ है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट अनपढ, अशिक्षित व्यक्ति है दिनांक 29.06.2017 को अपीलान्ट हिण्डोली कैम्प में गये थे जहॉ पर अपीलान्ट के उपस्थिति बाबत् हस्ताक्षर करवाये और पीठासीन अधिकारी ने अपीलान्ट को बताया कि पेशी कोर्ट में तुम्हारे वकील सा0 ले लेंगे यह कहकर हमारी उपस्थिति के अंगूठा निशानी कराकर हमे भेज दिया इसके बाद अपीलान्ट ने अपने वकील साहब जो बून्दी रहते हैं उनसे कई बार सम्पर्क किया लेकिन तारीख पेशी की जानकारी नहीं दी और कहा कि तुम्हे आवश्यकता होगी तब बुला लूंगा। दिनांक 20.08.2019 को पटवारी, कानूनगो ने अपीलानट के मकान पर आकर भूमि नापने का कारण पूछा तो उन्होंने उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दी जिस पर दिनांक 14.09.2019 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा बताकर अपीलान्ट प्रतिवादी के खिलाफ अधीनस्थ न्यायलाय में वाद प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबदावा लिये बिना तनकीयात कायम किये बिना लोक अदालत में दावा डिक्री कर दिया । यह आदेश विधि–विरूद्ध है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट के मकानात बने हुए है और अपीलान्ट इसमें निवास करते आ रहे हैं । बिना कब्जे के रेस्पोडेन्ट के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया है । वादग्रस्त आराजी पर काश्त नहीं होती है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है । लोक अदालत में अपीलान्ट उपस्थित हुए हैं । वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक रेस्पोडेन्ट हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से उभय पक्ष को सुनकर लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावे में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में भंवर लाल प्रतिवादी कम 02, खाजू प्रतिवादी संख्या 04, बिरधी प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति दर्ज की गई है । शेष पक्षकारान की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर दावा वादी डिक्री किया गया है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.05.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 13.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा